खण्ड-228, अंक-1
सोमवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1884
(26 मार्च, 1962 ई0)

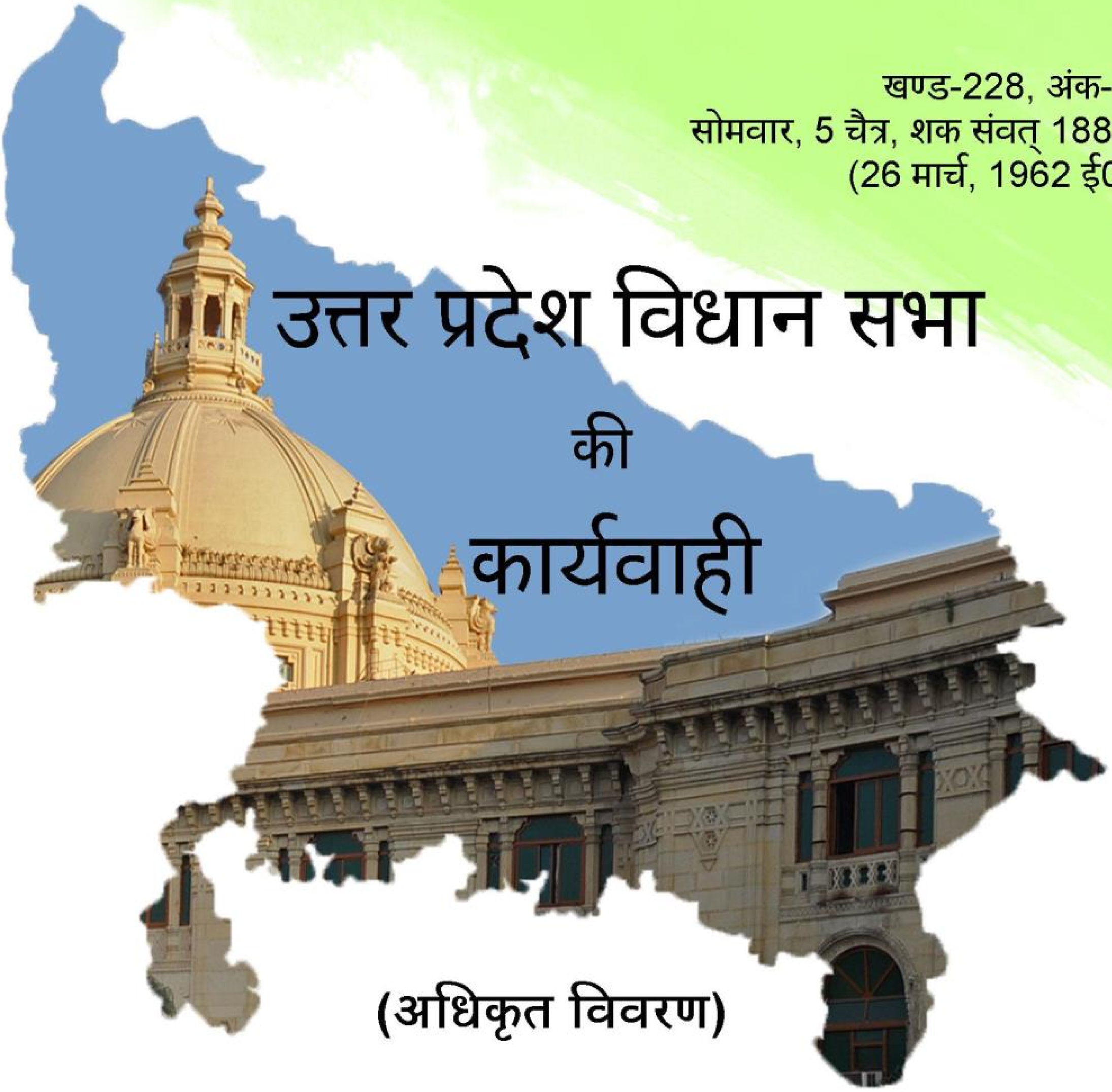

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय- सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
अध्यक्ष पद पर कार्य करने हेतु श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य, विधान सभा की श्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की सूचना	५
विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन	५–६
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री मदन मोहन वर्मा को बधाई	६–१२

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २६ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६९

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्रीराजा
अवध्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इतिजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री

गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेडा, श्री
छांगुर, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (जौनपुर)
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेज नारायण, श्री
तेजसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूराम, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
पशुपतिनाथतरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पोसनसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल वधवार, श्री (राजाजी)

उत्तरप्रदेश विधान सभा

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भवनदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मटोलासिंह, श्री
मदनमोहन, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदअली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रनबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअयोध्या, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्त्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्तिशर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतमिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सहदेवसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीतलप्रसाद, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

अध्यक्ष पद पर कार्य करने हेतु श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, सदस्य, विधान सभा की श्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की सूचना

सचिव, विधान सभा—विधान सभा के सदस्यगण, इस समय संविधान के अनुच्छेद १७९ के परन्तुक के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष का पद रिक्त है और पुरानी विधान सभा के विघटन के कारण उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है। इसलिये संविधान के अनुच्छेद १८० के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल ने उस समय तक के लिये जब तक कि माननीय अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय, आज के उपवेशन में अध्यक्ष का कार्य करने के लिए श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, सदस्य, विधान सभा, को नियुक्त किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल की आज्ञा निम्नलिखित है—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और उसके अध्यक्ष का पद भी उक्त सदन के दिनांक २६ मार्च, १९६२ के उपवेशन के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व रिक्त हो जायगा।

भारत का संविधान के अनुच्छेद १८० के खंड (१) के द्वारा मुझे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बूरगुल रामकृष्णराव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा को उक्त उपवेशन के प्रारम्भ से उस समय तक के लिये जब तक कि संविधान के अनुच्छेद १७८ के उपबन्धों के अनुसार विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाय, अध्यक्ष पद का कार्य करने के लिये नियुक्त करता हूं।"

मैं श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट से प्रार्थना करता हूं कि वे कृपया अध्यक्ष के आसन पर बैठने का कष्ट करें।

(इस समय ११ बजकर २ मिनट पर श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन

कार्यकारी अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ९ (३) (क) के अन्तर्गत मुझे यह सूचित करना है कि विधान सभा के

अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये विधिवत् नाम-निर्देशित सदस्य तथा उनके प्रस्तावकों और समर्थकों के नाम इस प्रकार हैं--

नाम निर्देशित सदस्य	प्रस्तावक	समर्थक
१--श्री नेकराम शर्मा	श्री शिवदानसिंह	श्री बालोजी अग्रवाल
२--श्री नेकराम शर्मा	श्री अब्दुल बशीर खां	श्री भूपसिंह
३--श्री मदनमोहन	श्री चन्द्रभानु गुप्त	श्री जगदीशशरण अग्रवाल
४--श्री मदनमोहन	श्री कमलापति त्रिपाठी	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--श्रीमन्, सदन की मान मर्यादा, महत्ता तथा गरिमा को बनाये रखने के हित में तथा स्वस्थ परम्पराओं के स्थापित करने हेतु प्रतिपक्षी दलों के नेताओं के परामर्शानुसार, मैं अपना नाम अध्यक्ष पद के चुनाव से वापस लेता हूं।

कार्यकारी अध्यक्ष--अब चूंकि सिर्फ एक नाम रह गया है इसलिये मैं घोषित करता हूं कि श्री मदन मोहन सर्वसम्मति से इस सदन के अध्यक्ष नियुक्त किये गये।

मैं इस अवसर पर श्री मदनमोहन को हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इस गुरुतर कार्य को निभाने में सफल हों। ईश्वर उनकी मदद करे, उनको बुद्धि दे, दूरदर्शिता दे और बल दे जिससे कि वे इस कार्य को अच्छी तरह से निभा सकें। इस अवसर पर, मैं ज्यादा तकरीर न करके माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वे माननीय मदनमोहन को यहां लाने की कृपा करें।

(मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त और श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री मदनमोहन शर्मा को अध्यक्ष के स्थान पर ले गये। ११ बज कर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री मदनमोहन वर्मा को बधाई

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर जब इस सदन ने आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर आसीन किया है, अपनी ओर से और इस सदन के सदस्यों की ओर से बधाई देता हूं।

जिस पद पर आप आज सर्वसम्मति से आसीन किये गये हैं वह पद एक उत्तरदायित्व रखता है। वह उत्तरदायित्व बड़ा गुरुतर है। आज के समय में, उसको सही प्रकार निभा कर हम इस देश में गणतन्त्र की परम्पराओं की रक्षा कर सकते हैं और गणतन्त्र को अपने बीच में विकसित होने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस पद पर आज से आप आसीन होने जा रहे हैं, आप सदा उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए अपने उत्तरदायित्व को निष्पक्षता के साथ निभाएंगे और उन परम्पराओं और मर्यादाओं को हमारे बीच में रचने की चेष्टा करेंगे जिनके द्वारा गणतन्त्र फूल और फैल सके।

हमारा यह सौभाग्य रहा है कि जिन महान् व्यक्तियों ने इस पद को सुशोभित किया है, उन्होंने सदैव इस पद की मान-मर्यादा की रक्षा की है, गणतन्त्र की परम्पराओं को फैलाने का प्रयास किया है। आज आप ऐसे व्यक्तियों के उत्तराधिकारी बने हैं, जिन्होंने गणतन्त्र की परम्पराओं को रचने में भारतवर्ष में ऊंचा नाम कमाया है। हममें से कौन ऐसा है जो माननीय पुरुषोत्तमदास टण्डन जी के व्यक्तित्व को भूल सकता है; हममें से कौन ऐसा है जो श्री नफीसुल-हसन के व्यक्तित्व को भूल सकता है; और कौन ऐसा है जो माननीय खेर जी के व्यक्तित्व को भूल सकता है; जिन्होंने सदा इस सदन में निर्भीकता और निष्पक्षता से कार्य किया और गणतन्त्र के ऊंचे आदर्शों की रक्षा करने का प्रयास किया। हम सब को पूर्ण विश्वास है कि आप जब

तक इस पद पर आसीन रहेंगे अपने उन पुराने बुजुर्गों की परम्पराओं को अपनाते हुए इस सदन की मान-मर्यादा की सदा रक्षा करेंगे और उन परम्पराओं को हमारे बीच में विकसित करेंगे जिनसे आज के समय में जो गणतन्त्र के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, देश की रक्षा की जा सके। मैं अधिक समय न लेता हुआ, फिर से अपनी ओर से और सदन की ओर से आपको इस पद पर आसीन होने के लिए बधाई देता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आसन पर आप सर्वसम्मति से आसीन हुए हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आज देश के चारों ओर जनतंत्र के ऊपर जो संकट अन्यान्य देशों में छाया है उस संकटकालीन स्थिति में आप जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं का पोषण करें, प्रस्थापन करें, जिससे कि हम इस प्रदेश में, देश में और देश के बाहर भी एक सफल जनतंत्र का ज्वलंत उदाहरण रख सकें। श्रीमन्, साधारणतः और एक सर्वमान्य बात है कि जो सदन का अध्यक्ष होता है वह सभी दलों का होता है, वह ऐक्टिव पालिटिक्स में नहीं रहता है। हाउस आफ कामन्स में तो यहां तक है अध्यक्ष महोदय, और वहां यह परम्परा है कि अध्यक्ष होने के बाद व्यक्ति किसी भी दल से अपना सम्बन्ध नहीं रखता, क्योंकि सत्य बात यह है कि अध्यक्ष सभी दलों का होता है, किसी एक दल विशेष का नहीं और जिस मात्रा में अध्यक्ष की स्वतंत्रता निष्पक्षता और इस सदन का सम्मान श्रीमन्, उठा सकेंगे और उठायेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, उसी मात्रा में जनतंत्र सफल होगा।

एक स्वतंत्र अध्यक्ष के लिए आवश्यक है कि उसका सचिवालय भी स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि आज यह चारों ओर दिखाई पड़ता है कि धीरे-धीरे एग्जीक्यूटिव का एन्क्रोचमेंट जनतंत्र के, जो सारे वाइटल पोर्शन्स हैं उन पर होता जा रहा है और इसलिए जितना यह सचिवालय स्वतंत्र होगा उतना ही उसी मात्रा में अध्यक्ष का कार्य और अध्यक्ष की सारी रूलिंग भी स्वतंत्र होंगी। उसकी स्वतंत्रता के लिए सचिवालय का स्वतंत्र होना आवश्यक है। जिस परिपाटी की नींव अपने ही देश में स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल जी ने, जिस समय कि वह सेंट्रल असेम्बली के अध्यक्ष रहे, थोड़ी-सी डाली थी उसी परिपाटी की उस नींव को श्रीमन् के द्वारा पुष्टता मिलेगी और उसको और भव्यता प्राप्त होगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है।

विधान सभा की रक्षा का भी प्रश्न बहुत बार उठा है। वाच ऐंड वार्ड जिसे कहते हैं, वह भी श्रीमन् के अधीन होना चाहिए, क्योंकि विधान सभा का सारा कार्य, उसकी सारी व्यवस्था श्रीमन् के अधीन नहीं हुई तो उस मात्रा में विधान सभा की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस स्वतंत्रता में न्यूनता आती है। माननीय सदस्यों की मान मर्यादा की रक्षा श्रीमन् से अपेक्षित है और हमें विश्वास है कि जैसे कि आप से पूर्व जितने अध्यक्ष रह चुके हैं और उनमें से माननीय खेर जी का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि उन्हें सदस्यों की मान-मर्यादा का और उनकी सब प्रकार की सहूलियत का जितना ध्यान रहता था तथा जितनी निर्भीकता से वह उसका प्रतिपादन करते थे, हम सभी आशा करेंगे कि श्रीमन् के द्वारा भी सदस्यों की मान-मर्यादा की उसी प्रकार रक्षा होगी। श्रीमन् का ध्यान मैं एक बात की ओर आकृष्ट करूं कि भारतीय परम्परा में अध्यक्ष का एक बड़ा ऊंचा आदर्श है—

सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्द चक्षयो... अध्यक्ष के सामने सुहृद हो, पक्षी हो, विपक्षी हो, तृण हो, अरविन्द हो, सब एक समान हैं। यह जो समता की दृष्टि अध्यक्ष की है, मुझे आशा है कि उसी दृष्टि को श्रीमन् अपनायेंगे और यह जो उच्च आदर्श जनतंत्र का इस देश में पहले कभी रहा है उसका प्रतिपादन तथा पुष्टिकरण श्रीमन् के द्वारा होगा। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन् को जनसंघ की ओर से और विरोधी दल के सभी सदस्यों की ओर से तथा अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और आशा और अपेक्षा दोनों करता हूं कि इस सदन की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ऊपर उठाने में श्रीमन् सफल होंगे।

अन्त में, मैं माननीय नेकराम जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा है कि अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध हो, उसके सम्मानार्थ हम सभी की राय को मानकर, अपना नाम वापस ले लिया। उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और उनको बधाई भी देता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मत चुनाव पर आपको प्रजा सोशलिस्ट दल की ओर से मैं बधाई देता हूं। उसी के साथ-साथ मैं माननीय नेकराम जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमारी इस विधान सभा की परम्परा को स्वस्थ बनाने में सहायता दी और हमारी सलाह को उन्होंने मानने की कृपा की।

श्रीमन्, आपके ऊपर बहुत गहरा बोझ हम लोगों ने डाला है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा सारे भारत की विधान सभाओं से कुछ अधिक महत्व रखती है और जहां तक उसकी परम्पराओं का सम्बन्ध है, मेरी ऐसी धारणा है कि उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी परम्परायें बनेंगी जो औरों के लिये भी काम दे सकें। कुछ ऐसे कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं जिनसे औरों ने भी लाभ उठाया है। श्रीमन्, मैं तो ऐसा समझता हूं कि अध्यक्ष का ज्यादा उत्तरदायित्व अल्पमत की रक्षा करने का है। बहुमत अपनी रक्षा करने में समर्थ रहता है। नियमों का भाष्य यानी नियमों के अनुसार काम चलाना, यहां पर इसका उत्तरदायित्व पूर्णतः आपके ऊपर आता है। नियमों का किस तरह से भाष्य हो सके, किस तरह से हम अपने उत्तरदायित्व में जागरूक रह सकें, जिन लोगों ने हमको यहां पर भेजा है उनके प्रति हम किस तरह से ईमानदारी से कार्य कर सकें, यह श्रीमन्, आप सहायक होंगे तभी हमारे लिये सम्भव है कि हम उसमें सफल हो सकें। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि अल्पमत जिसको विरोधी पक्ष या प्रतिपक्ष कहा जाय, उसकी जिम्मेदारी को पूरा कराने का बोझ आपके ऊपर है।

हम पिछले १० वर्षों से इस सदन में रहते आये हैं। ऐसे मौके भी आये कि जब कभी हम लोगों ने कुछ ऐसे काम किये कि जो पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की सीमा में नहीं आते, लेकिन हम आपकी इस कुर्सी पर बैठने वाले जो हमारे पुराने अध्यक्ष थे, उनके बड़े आभारी हैं कि उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ और बहुत ठंडे दिल से हमको समझाने की कोशिश की और इस सदन की मर्यादा रखने की चेष्टा की। श्रीमन्, इस कुर्सी पर टंडन जी भी आसीन हो चुके हैं और उन्होंने भी कुछ ऐसी मर्यादा कायम की जो हमारे लिये अनुकरणीय हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सर्वसम्मत चुनाव से एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होगा और हमको अपना कार्य करने में इतनी स्वतंत्रता और इतनी सुविधा मिलेगी जिससे इस सदन के बाहर जो ७।। करोड़ जनता बसती है और जिसकी आशा इस विधान सभा पर लगी हुई है, उसके प्रति ईमानदार रहने में हमको मदद मिल सकेगी और आप हमको इतने जागरूक रख सकेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा करा सकेंगे। यह हमारी आकांक्षा है और इसी आकांक्षा से हमने आपको इस कुर्सी पर देख कर आपका स्वागत किया है। मैं फिर आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अगले पांच वर्षों में हमारे कार्य ऐसे ही होंगे जिनसे हम पहले से ज्यादा उत्तरदायित्व के साथ अपने कार्य करने में सफल हों।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, आज मुझे आपको बधाई देते हुए प्रसन्नता होती है कि आज सदन में आपका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। साथ ही हमें खुशी है कि श्री नेकराम जी शर्मा ने अपना नाम वापस करके इस सदन में एक आदर्श का परिचय दिया है। मुझे पहले के अध्यक्ष जी के बारे में कोई जानकारी तो नहीं है पर मैं आज के चुने हुए माननीय अध्यक्ष जी से आशा करता हूं कि भविष्य में आप जो परम्परा कायम करेंगे वह मार्ग दर्शन एवं आदर्श के रूप में हमारे सामने पेश होगी।

सोशलिस्ट पार्टी की ओर से हम आप को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके सहयोग से अपनी बातों को सदन के सामने न्यायसंगत ढंग से पेश कर सकेंगे और सोशलिस्ट पार्टी जिस आदर्श के साथ सदन में हमेशा पेश आती रही है उसी प्रकार के आदर्श पेश करेगी। हम आप से उम्मीद करते हैं कि आप सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों को न्यायपूर्ण अधिकार देते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर श्रीमान् जी को बधाई देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जला गोंडा)—श्रीमन्, आज वास्तव में बड़े हर्ष की बात है कि आज इस सदन की मर्यादा सदैव की भांति पूरी रही और हमारे श्री नेकराम जी शर्मा ने अपना नाम वापस कर लिया, उसके लिए हमारे खयाल से सारा सदन उनका आभारी रहेगा और जो आपका सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है उसके लिए मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।

वास्तव में श्रीमन्, आप जिस आसन पर आज बैठे हुए हैं इसको विक्रमादित्य के आसन की भांति बहुत बड़े-बड़े महानुभाव सुशोभित करते रहे हैं। राजर्षि टंडन जी, नफीसुल हसन साहब और हाल ही में हमारे खेर साहब इसी स्थान पर थे। उन्होंने जो परम्पराएं डाल दी हैं अगर उन पर चल कर और उनसे आगे बढ़ने की आप कोशिश करेंगे तो वास्तव में सदन की मर्यादा बढ़ेगी। मुझे कहने में संकोच नहीं कि आप जिस आसन की प्रतिष्ठा का भार ग्रहण किये हुए हैं वह बहुत गम्भीर और अहम है। आज जिस दिशा में हमारे देश की हालत चल रही है, धीरे-धीरे आज साम्यवाद बढ़ रहा है और जो गणतंत्र के ऊपर हस्तक्षेप हो रहा है इसका संरक्षण केवल आप ही कर सकते हैं। जो गणतंत्र के प्रेमी हैं और जो देश में वास्तव में गणतंत्र कायम रखना चाहते हैं उनको आपसे बड़ी-बड़ी आशाएं हैं। मुझे आशा है कि भगवान इसमें आपको पूरी सहायता करेगा, आप अपना कर्तव्य पूरा कर सकेंगे जिसमें विरोधी दल के लोगों का सहयोग बराबर आपको मिलता रहेगा।

डाक्टर जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खुशगवार वातावरण में जब कि हम सब ने मिल कर, एक राय से, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आपके कन्धे पर डाली है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और जब मैं मुबारकबाद आपको देता हूं तो मैं आपको इस सदन के एक सब से बड़े पदाधिकारी की शक्ल में नहीं देखता, बल्कि मैं आपको एक दोस्त, एक रहनुमा की शक्ल में देखता हूं। पदाधिकारी वही होता है जो दरअस्ल दोस्त होता है, रहनुमा होता है। हो सकता है हममें आपस में कशमकश यहां पैदा हो और होगी, क्योंकि सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन आखिर उस कशमकश को सुलझायेगा कौन? हमको सही रास्ते पर लाएगा कौन? हमको मिलायेगा कौन? सही हिदायत कौन देगा? वह आप हैं। इसलिए आप हमारे रहनुमा हैं। हो सकता है कि हम गलती करें, गलत बातें कह दें, तब सही राय कौन देगा? आप हमारे दोस्त, हमारे फिलासफर, सरपरस्त और गाइड। इस शक्ल में मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने भाई, श्री नेकराम जी को भी मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिये कि उन्होंने इस खुशगवार फिजा को पैदा करने में मदद की। हम सब ने मिल कर उनसे दरख्वास्त की कि अगले पांच साल के लिये इस असेम्बली का काम शुरू हो रहा है, ऐसे वक्त में हम मिलकर कदम उठायें, शुरूआत करें, बिसमिल्ला करें तो अच्छा होगा, और अच्छी बिसमिल्ला हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने मिल कर, एक उसूली बात को सामने रखते हुए आप को अपना रहनुमा चुना है, आप जब कभी हम लोगों के बीच आपस में कोई कशमकश पैदा हो जाय तो हमको उस दायरे से हटा कर हमारी रहनुमाई करेंगे, जिससे जो मसले हमारे सामने आयेंगे उनको हल करने के लिये, एक राय होकर सचाई को सामने रखते हुए, हम आपकी रहनुमाई में आगे कदम बढ़ायेंगे।

यू० पी० का सदन वही स्थान रखता है जो यू० पी० सारे हिन्दोस्तान में रखता है। यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से भाग लिया और लाखों और करोड़ों की तादाद में कुरबानियां कीं, उसी के नुमायन्दे आज यहां बैठे हुए हैं। इस तरह से यू० पी० की हिन्दुस्तान में एक खास जगह है और उस सूबे की जब आप को जिम्मेदारी दी जा रही है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी इज्जत आपको दी जा रही है। यू० पी० जैसे सूबे के सदन का रहनुमा आपको बनाया गया है, यह एक बहुत ही खुशी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर जेड० ए० अहमद]

की बात है और मैं समझता हूं उसकी जिम्मेदारी को आप खुद अच्छी तरह से समझते हैं। हम अल्पदल के लोग हैं, गुस्से और तैश में आ सकते हैं क्योंकि अल्पदल के आदमी को अक्सर गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर हम गलती करें तो उसकी वजह से जो हमारे उचित अधिकार हैं वह न हटाये जायं। अगर हम गलती करें तो हमको समझा दीजिये, लेकिन हमारे अल्पदल के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी रहनुमाई में अल्पमत के अधिकारों की रक्षा होगी, अल्पमत के ही नहीं बहुमत के अधिकारों की भी रक्षा होगी। इन चन्द अल्फाज के बाद, मैं फिर से आप को मुबारिकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले पांच वर्षों में, सिर्फ इस सदन में ही नहीं इस सदन के बाहर भी हमारे व्यक्तिगत और जाती ताल्लुकात बढ़ेंगे और सब दल मिल कर, इस सूबे के लिये जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करेंगे। एक बार मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि आप इस सदन के अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेताओं का आभारी हूं और साथ ही सरकारी पक्ष का भी, जिन्होंने यह कहा कि हमें स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करना चाहिये और उन स्वस्थ परम्पराओं को स्थापित करने में मेरा किसी प्रकार से भी उपयोग हो सका तो मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं। आप जानते हैं कि एशिया में जनतंत्र समाप्त हो रहा है, चारों तरफ फौजी शासन होता चला आ रहा है। यह उत्तर प्रदेश, भारत की जान है और इस प्रदेश में जनतंत्र की रक्षा में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा।

श्रद्धेय टंडन जी ने इस सदन में एक परम्परा डाली थी और उनका कहना था कि सदन का एक भी सदस्य अगर उनका विरोध करेगा, उनमें अविश्वास करेगा तो वे इस्तीफा दे देंगे। इसके पश्चात् आदरणीय खेर साहब ने भी एक परम्परा डाली। जब कभी सदन का वातावरण टेंस हो जाता तो वे दोनों पार्टियों को तथा उनके नेताओं को बुला कर अपने पास बैठाते, बातें करते और आपस में मेल पैदा करा देते थे। उन्होंने यह भी एक परम्परा प्रेम और स्नेह की डाली। और जिन खेर साहब में सदन का इतना विश्वास था, आज उनकी अनुपस्थिति को सदन काफी महसूस कर रहा है।

श्रीमन्, यह एक परम्परा थी कि जिस समय अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तो वह उस दल का नहीं रहता है। हम आपसे यह चाहते हैं कि आप जिस दल की तरफ से चुन कर आये हैं, जब आज आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं तो आप हमारे सारे सदन के अध्यक्ष हैं, इसलिये यदि सम्भव हो सके, आप उस दल से पृथक हो जायं तो हम लोगों का और हमारे सारे विरोधी दल के लोगों का आप की निष्पक्षता में और भी विश्वास होगा और आप भी अपना काम बड़ी निष्पक्षता और अच्छे ढंग से कर सकेंगे। क्योंकि जिस पार्टी की मीटिंग में जाकर आप बैठेंगे और वहां की कार्यवाही में भाग लेंगे तो उसका कुछ थोड़ा सा असर तो पड़ेगा ही।

एक चर्चा चली थी कि अध्यक्ष महोदय जहां से खड़े हों वहां कोई पार्टी अपना प्रतिनिधि न खड़ा करे और यह मांग की गयी थी कि निर्दलीय होकर अध्यक्ष चुनाव लड़ें, लेकिन वह बात नहीं चल पायी और उसका जो नतीजा हुआ वह हमने आज देखा। अगर आप यह परम्परा डालते हैं कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद उसका सम्बन्ध किसी दल से नहीं रहता है तो इससे प्रजातंत्र की और भी रक्षा हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं सदन के नेता, और जितने विरोधी दलों के नेता हैं उन सबका तथा सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिये और स्वस्थ परम्पराओं के लिये मेरी जो भी आवश्यकता होगी, और जो भी आपका आदेश होगा, मैं सदैव उसका पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय, मंत्रिगण, विभिन्न दलों के नेतागण व इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यगण—जो सम्मान आज इस सदन ने मुझे प्रदान किया है, उसका गौरव और उसकी उत्कृष्टता मैं भली-भांति अनुभव करता हूं। किन शब्दों में मैं

अपने आभार व भावनाओं को प्रकट करूं, समझ में नहीं आता। शब्द तो कदाचित् हृदय की भावनाओं के संकेत मात्र होते हैं। कवि और मनीषी को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वे अपनी भावनाओं का यथार्थ रूप दे सकते हैं, न मैं कवि हूं, न मनीषी।

इस अध्यक्ष पीठ से महान् परम्परायें, उत्कृष्ट मान्यतायें और मर्यादायें सम्बद्ध हैं। यहां के तेजस्वी अध्यक्षों ने अपनी बुद्धिमत्ता व व्यवहार कुशलता से उन परम्पराओं और मान्यताओं को रचा है, उनकी रचना की है और विकासोन्मुख किया । उन तेजस्वी अध्यक्षों की अर्जित पूंजी आज आप मेरे निर्बल कंधों या निर्बल हाथों में दे रहे हैं। मेरा हृदय कातर, सशंकित और व्यग्र हो रहा है। पता नहीं कि मैं आपकी आशाओं के अनुरूप अपने आपको सिद्ध कर सकूंगा या नहीं। केवल इतना विश्वास अवश्य दिलाना चाहता हूं कि मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा या प्रयास रहेगा कि उन मर्यादाओं और मान्यताओं का संरक्षण हो, जो मान्यतायें और मर्यादायें और परम्परायें इस आसन से सम्बद्ध रही हैं।

माननीय गेंदासिंह जी ने और माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने अल्पसंख्यक समुदायों या दलों के सम्बन्ध में कुछ कहा। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश में अनेक दलों का सृजन हुआ है और प्रत्येक दल का यह मत है कि उसी के कार्य-क्रम में जनहित और देश हित निहित है। स्वाभाविक है कि अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए कुछ व्यग्रता, कुछ उग्रता और कुछ गरमी आये, लेकिन मैं इस सम्मानित सदन के आदरणीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भूलना नहीं चाहिये कि हम इस राज्य के साढ़े सात करोड़ जनसमुदाय के प्रतिनिधि हैं। यह साढ़े सात करोड़ जनसमुदाय जनतंत्रीय पद्धतियों में आस्था रखता है। उसका विश्वास है और सही तरीके से विश्वास है कि जनतंत्र का केन्द्र यह विधान सभा है। जहां उनका विश्वास है कि जनतंत्र का संरक्षण होगा, क्योंकि जनतंत्रीय पद्धतियों की आत्मा यहां निवास करती है, इस सदन का एक गौरव है, गरिमा है, प्रतिष्ठा है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा विनम्र निवेदन है कि कितने ही बल के साथ आप अपने पक्ष को इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करें तो भी उस गौरव, गरिमा को, उस प्रतिष्ठा को, उन परम्पराओं को या मर्यादाओं को अपने ध्यान में रखना होगा और प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, यद्यपि उसको वाक्स्वातंत्र प्राप्त है, प्रत्येक दल को यह समझ लेना होगा कि यद्यपि वाक्-स्वातंत्र प्रत्येक उस दल के व्यक्ति को प्राप्त है लेकिन उस स्वतंत्रता को बरतना इस प्रकार से हो कि जिससे जनतांत्रिक पद्धतियों का संरक्षण और संवर्धन हो और जनहित का साधक हो। अगर इस सदन के माननीय सदस्य इस गौरव और गरिमा के संरक्षण में सचेष्ट रहेंगे तो इख्तलाफ़ात होते हुए भी मैं विश्वास करता हूं कि, यहां का, वातावरण सुन्दर और तर्क उपस्थित करने के लिए उपयुक्त रहेगा। मैं यह मानता हूं, जैसा कि कुछ दलों के नेता वर्ग ने कहा, यह आसन जनतंत्रीय परम्पराओं का एक प्रतीक है और मेरा कर्तव्य यह है कि उन महान् परम्पराओं और मान्यताओं का संरक्षण व सम्बर्द्धन मेरे द्वारा होता रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक मेरा सम्बंध है मेरा यत्न सदैव यही रहेगा। इस विषय में विचार करते हुए कुछ ऐसा लगा कि यदि किसी समय मैं गलती करूं और शिथिलिता की ओर गलती करूं तो वह गलती अल्पमत या अल्पसंख्यक दलों के हितों के प्रतिकूल नहीं होगी और मुझे विश्वास है कि बहुमत का आपके प्रति जो रुख होगा वह सदैव सहानुभूतिपूर्ण होगा और आपके दृष्टिकोण को समझ कर उसके अनुरूप अपना कार्य वह संचालन करेगा। लेकिन अल्पसंख्यक इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्पसंख्यक का संरक्षण इतना हो कि बहुमत के अधिकारों का ह्रास हो जाय। अल्पसंख्यक के साथ इतनी शिथिलता नहीं मांगी जायगी कि जिससे हमारे कार्य संचालन में व्यवधान हो और जनहित का ह्रास हो। अल्पमत के हितों का संरक्षण मेरा कर्तव्य है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह हर प्रकार से किया जायगा।

एक बात माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने और माननीय नेकराम जी ने यहां प्रस्तुत की है कि वह परम्परा स्वीकार की जाय जो इंग्लिश पार्लियामेंट में है कि स्पीकर निर्दलीय हो। मैं उस परम्परा को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रचलित है उसको एक आदर्श परम्परा समझता हूं। लेकिन परम्परायें देश, काल, इतिहास और परिस्थितियों पर निर्भर रहती हैं। जो परम्परा ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्वीकृत और प्रचलित है उस परम्परा के अनुसार स्पीकर निर्दलीय हो जाता

[श्री अध्यक्ष]

है। किन्तु उस परम्परा का एक दूसरा अंचल यह भी है कि उसका चुनाव उसके निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षित रहता है। उस परम्परा के दो अंचल हैं। एक अध्यक्ष का निर्दलीय होना और दूसरे, उसका अपने क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाना---ये दोनों एक ही परम्परा के अविभाज्य अंग हैं।

यह मुश्किल है कि आप उस परम्परा के एक अंश पर ही बल देते हैं और उसके अंगीकरण करने के लिये आग्रह करते हैं। हमारा और आपका कर्तव्य है, मैं अपना भी कर्तव्य समझता हूं, कि हम और आप मिल कर एक ऐसे वातावरण का सृजन करें कि जिसके द्वारा यह उत्कृष्ट परम्परा हमारे देश में प्रवृत्त हो जाय और उसके लिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक मेरा प्रश्न है मैं अतिशय निष्पक्षता से इस सदन में बैठ कर अपने निर्णय दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने समस्त स्वार्थों और अहंकार कापरित्याग करके आज से मैं आपके सामने आपका सहयोग प्राप्त करने का यत्न करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अतिशय अत्यन्त रूप से अपने आपको जनतंत्रीय परम्पराओं और मान्यताओं के प्रति आत्मसमर्पण करके उनके सुरक्षित रखने का प्रयत्न करूंगा ताकि इस सदन के माननीय सदस्यों में निष्ठा और विश्वास की भावना उत्पन्न हो और इस सदन के माननीय सदस्य उस महान् परम्परा को अपने देश में स्थापित करने के लिये जनता में उन प्रवृत्तियों को जागृत करें कि जिन प्रवृत्तियों के द्वारा ऐसी परम्परायें स्थापित हो सकती हैं।

मैं फिर इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। हो सकता है कि प्रारम्भ में कुछ मुझसे अनुभवहीनता के कारण या इस आसन के कृत्यों से अनभिज्ञ होने के कारण गलतियां हों, किन्तु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस उदारता से आज आपने मुझे इस पद के लिए चुना है उसी उदारता से मेरी गलतियों को क्षमा किया जायगा। मेरा यत्न रहेगा कि शीघ्रतिशीघ्र उन सब अपने कृत्यों और कर्तव्यों से परिचय प्राप्त करके यथाशक्ति अधिक से अधिक सेवा इस सदन की मैं कर सकूं, धन्यवाद।

(कुछ ठहर कर)

पूर्व इसके कि आज की कार्यवाही समाप्त हो, जो सदस्यगण शपथ ले चुके हैं और उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं उनसे निवेदन है कि वे हस्ताक्षर कर दें। कल, विज्ञप्ति के अनुसार, ११ बजे हम यहां राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिये एकत्रित होंगे। राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के उपरान्त ३ बजे फिर विधान सभा की बैठक होगी।

अब, आज, कल तीन बजे तक के लिये हम उठते हैं।

कुछ सदस्यगण---कल ११ बजे से नहीं?

श्री अध्यक्ष---कल ११ बजे से असेम्बली और कौंसिल दोनों सदनों के सदस्य विज्ञप्ति के अनुसार यहां एकत्रित होंगे। जहां तक विधान सभा की कार्यवाही का प्रश्न है वह कल ३ बजे से प्रारम्भ होगी, यह मतलब है।

(इसके बाद सदन ११ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के ३ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
सोमवार, २६ मार्च, १९६२।

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० ९ एल० ए०---१९६२---८४५।